केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्री ए० सी० गुह : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९५४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) अधिसूचना संख्या २५, दिनांक १४ मई, १९५५

(२) अधिसूचना संख्या २७, दिनांक १८ मई, १९५५

(३) अधिसूचना संख्या ३१, दिनांक १८ जून, १९५५

(४) अधिसूचना संख्या ३२, दिनांक २ जुलाई १९५५

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये सख्या एस०-२०९/५५]

पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन

श्री ए० सी० गुह : मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनिमम, १९४८ की धारा १८, उपधारा (२) के अन्तर्गत इन पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) ३१ दिसम्बर १९५४ को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन ।

(२) ३१ दिसम्बर १९५४ को समाप्त हुए वर्ष के लिये व्ययों का विश्लेषण ।

(३) वर्ष १९५४ में वापस मांगे गये ऋणों का विवरण ।

(४) ३१ दिसम्बर १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये बहुत दिनों से बकाया किस्तों के विवरण का सारांश

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस०—२१०/५५]

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : श्रीमान, मैं डा० राम सुभग सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या १०८६ के भाग [ख] के १९ मार्च १९५५ को दिये गये अपने उत्तर को शुद्ध करना चाहता हूं । उस समय मैंने बताया था कि भाखड़ा बांध से सम्बन्धित कंक्रीट का कार्य जून, १९५५ में प्रारंभ होने वाला है । भाग (ख) का शुद्ध उत्तर होना चाहिये "नवम्बर १९५५ के दौरान में" ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : क्या मैं सूचनार्थ पूछ सकता हूं कि इस अशुद्ध वक्तव्य के लिये कौन उत्तरदायी था क्या इसका पता लगाया गया है ?

श्री हाथी : जांच की गई थी और पता लगा कि काम नवम्बर में शुरु होने वाला था न कि जून में ।

श्री कामत : कौन उत्तरदायी था ....

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा करने का कोई अवसर नहीं है ।

गोआ की स्थिति

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान् मैं गोआ की स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की अनुमति चाहता हूं ।

यह सभा और हमारे देश की सम्पूर्ण जनता भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों की समस्या के सम्बन्ध में बहुत रुचि रखती है । इस कारण और समस्या के महत्व के कारण मैं इस सभा को समय समय

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर वहां की गतिविधियों के सम्बन्ध में बतलाता रहा हूं और यह भी बताता रहा हूं कि हमारी सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है। गत ४ मई को लोक सभा में एक वक्तव्य में मैं ने गोआ की कुछ गतिविधियों के बारे में बताया था कि जिनसे पता चलता था कि वह संकट बढ़ जायेगा। गत दो महीनों में कुछ अग्रेतर बातें हुई हैं जिनके कारण चिन्ता बढ़ गई है और गोआ तथा सम्पूर्ण भारत में वातावरण क्षुब्ध हो गया है।

मैं सभा को स्मरण दिलाता हूं कि गोआ निवासियों का स्वतन्त्रता प्राप्त करने और भारत संघ में मिलने का संघर्ष कोई नई बात नहीं है। यह काफी पुरानी बात है। और विशेष रूप से १९४६ में, भारत के स्वतन्त्र होने की आशा ने गोआ निवासियों में भी स्वतंत्रता की आशा पैदा कर दी और उन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया। यह प्रयत्न असफल रहा। उस समय से ही लगातार गोआ में आन्दोलन हो रहा है और बहुत से गोआ निवासी देश-भक्तों को हानी भी उठानी पड़ी है। प्रसिद्ध नागरिकों को लम्बी लम्बी सजायें मिली हैं। भारत के साथ गोआ के मिलने की एक बात कहने का शाब्दिक विरोध करने पर सजायें दी गयी हैं, लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए गये हैं और कभी कभी देश निकाला की सजा भी दी गयी है। गोआ में लोगों से नागरिक अधिकार छीन लिये गये हैं और वैधानिक आन्दोलन के नैतिक उपायों पर रोक लगा दी गयी है और उन्हें कुचल दिया जाता है। फिर भी पुर्तगाली शासन से गोआ को मुक्त करने का आन्दोलन जारी रहा। पुर्तगाली सरकार ने कई बार कहा है कि गोआ के भीतर कोई राजनैतिक आन्दोलन नहीं है। यह स्पष्टतया एक गलत बात है।

लगभग एक वर्ष बीते, गोआ के आन्दोलन ने अधिक घोर और प्रदर्शन-कारी रूप धारण कर लिया। इसको पुर्तगाली अधिकारियों ने अधिक जोरों से दबाया। गोआ में और गोआ से बाहर इस आन्दोलन को सत्याग्रह का एक नया रूप दिया गया। यह सत्याग्रह अधिकतर गोआ की जनता तक ही सीमित रहा पर कभी कभी अन्य लोग भी इस में भाग लेते थे।

हमारी सरकार चाहती थी कि इस समस्या को शान्ति पूर्वक और यदि सम्भव हो तो पुर्तगाली सरकार से बात-चीत करके सुलझाया जाये। भारत सर-कार ने भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों और पुर्तगाली बस्तियों दोनों के सम्बन्ध में इस नीति का अनुसरण किया। सभा को पता है कि फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में यह नीति सफल भी हुई और फ्रांसीसी सरकार से एक समझौता किया गया था। पर गोआ के मामले में, पुर्तगाली सरकार ने कोई समझौता करने या इस मामले पर बात करने से भी लगातार इनकार किया है। कई बार तो भारत सरकार द्वारा पुर्तगाली सरकार को भेजे गये टिप्पणों को स्वीकार तक भी नहीं किया गया है। इस पर भी सरकार की दृढ़ नीति यही रही है कि केवल शान्तिपूर्ण साधनों का ही अनुसरण किया जाये।

जब गोआ के अन्दर और बाहर सत्याग्रह आरंभ हुआ, सरकार को इस नवीन घटना पर ध्यानपूर्वक विचार

करना पड़ा । गोआ के अन्दर होने वाले सत्याग्रह के मामले से, स्वभावतः भारत सरकार का कोई वास्ता नहीं था । पुर्तगाली बस्तियों में सत्याग्रहियों के प्रवेश के बारे में भारत सरकार का यह रुख था कि गोआ वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को सत्याग्रह में भाग लेने से निरुत्साहित किया जाए । सरकार सत्याग्रहियों के सामूहिक प्रवेश के भी पक्ष में नहीं है । अगस्त १९५४, में, स्थिति भीषण हो गई थी, किन्तु सरकार की इस नीति के कारण और इसके साथ जनता का सहयोग होने के कारण स्थिति खराब होने से बचा ली गई ।

तब से समय समय पर सत्याग्रह जारी है । १८ मई को, श्री गोरे के नेतृत्व में शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों का एक जत्था गोआ में प्रविष्ट हुआ । पुर्तगाली अधिकारियों ने इन शान्तिप्रिय व्यक्तियों पर गोली चलाई, उनमें से चार व्यक्तियों को चोटें आईं और बाद में उनकी खूब पिटाई की गई तथा उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया । श्री गोरे और घायल सत्याग्रहियों को पुलिस हवालात में रखा गया, तथा अन्य सत्याग्रहियों की भारतीय सीमा में धकेल दिया गया ।

१८ मई के पश्चात् अहिंसात्मक सत्याग्रहियों के बारह और जत्थे गोआ की सीमा में प्रविष्ट हो चुके हैं । इन सत्याग्रहियों के साथ बड़ी अमानुषिकता का व्यवहार किया गया है । उन पर हमला किया गया और इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उन में से कुछ बेहोश हो गये । यह भी बताया गया है कि कुछ लोगों के गिर जाने के पश्चात् उन्हें रोंदा गया ।

घायल सत्याग्रहियों में से एक व्यक्ति, श्री अमीरचन्द गुप्ता, को बेहोशी की अवस्था में भारत की सीमा में फेंक दिया गया जहां वह अपने घावों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया । अन्य बहुत से सत्रण अस्थि-भंग और दूसरी बड़ी चोटों वाले व्यक्तियों को हस्पतालों में भर्ती किया गया था । २५ जून को, श्री जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में जाने वाले सत्याग्रहिया के जत्थे पर भी गोली चलाई गई, जिनमें से दो सत्याग्रहियों को चोटें आईं ।

कहा जाता है कि गोआ के एक व्यक्ति, श्री मापारी को भी, जो सत्याग्रही नहीं थे, बड़ी बुरी तरह मारा पीटा गया, जिसके कारण वह मर गया ।

पिछली मई के पश्चात् लगभग आठ सौ सत्याग्रही विभिन्न जत्थों में और विभिन्न समयों पर गोआ में प्रविष्ट हुए । इन में से नौ व्यक्तियों को गिरिफ्तार कर लिया गया है और अन्य लोगों को मारपीट कर भारत की सीमा में धकेल दिया गया है । गिरिफ्तार किये गये इन व्यक्तियों में श्री एन० सी० गोरे, श्री एस० पी० लिमये, और इस सभा का एक सदस्य तथा श्री त्रिदिव कुमार चौधरी हैं ।

हवालात में बन्द लोगों में से कुछ व्यक्तियों को स्थानीय सैनिक न्यायाधिकरण के सामने पेश किया गया है । अब तक जहां तक हमें मालूम है, गोआ के १२२ व्यक्तियों को, जिनमें अधिकतर गोआ के रहने वाले लोग हैं, एक वर्ष से लेकर २८ वर्ष तक के कठिन कारावास का दंड दिया जा चुका है । उन्हें राजनैतिक कैदी नहीं माना गया और उनसे साधारण अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाता है । तेरह भारतीयों को भी आठ से

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लेकर नौ वर्ष तक का कारावास दंड दिया गया है।

हमारी जानकारी के अनुसार, गोआ निवासियों और भारतीयों द्वारा बिल्कुल शान्तिपूर्वक सत्याग्रह किया गया है। परन्तु बताया जाता है कि गोआ के अन्दर कुछ हिंसात्मक घटनाऐं भी हुई हैं। पुर्तगाली अधिकारियों ने कहा है कि ये हिंसात्मक कार्यवाहियां भारतीयों तथा भारत के सशस्त्र सैनिकों द्वारा की गई हैं। यह पूर्णतया असत्य है। इसके साथ सत्याग्रहियों का कोई सम्बन्ध नहीं है और भारत का कोई भी सशस्त्र सैनिक सीमा के पार नहीं गया। स्पष्टतः पुर्तगाली सरकार की दयनात्मक नीति के परिणामस्वरूप उत्पन्न क्रोध के कारण गोआ के रहने वाले कुछ एक व्यक्तियों द्वारा ये छोटी अहिंसात्मक घटनाएं होती हैं।

पुर्तगाली सरकार ने कई बार कहा है, प्रथमतः यह कि गोआ के अन्दर कोई आन्दोलन नहीं है, और दूसरे यह कि यह सत्याग्रह गोआ निवासियों का नहीं, अपितु भारत द्वारा संगठित और संचालित किया जा रहा है। जब कि यह सच है कि हाल के कुछ महीनों के अन्दर कुछ भारतीयों ने सत्याग्रह में भाग लिया ह, मुख्यतः यह आन्दोलन गोआ का आन्दोलन है इसका यह प्रमाण है कि पिछले वर्ष लगभग २५०० गोआ निवासी गिरिफ्तार किये गये हैं और उन्हें बड़ी शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दी गई हैं। अब भी लगभग ४५० गोआ-निवासी हवालात में हैं।

गोआ के अन्दर और बाहर, पुर्तगाली सरकार ने अपना प्रचार करते हुए इस समस्या के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहलू पर बार बार जोर दिया है। उसका दावा है कि गोआ पुर्तगाल का एक भाग है, यह ऐसा दावा है, जो बिल्कुल मिथ्या है।

१९५१ में प्रकाशित पुर्तगाली शासकीय आंकड़ों के अनुसार, पुर्तगाली बस्तियों की कुल ६,३८,००० जनसंख्या में से, १४३८ व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सब व्यक्तियों का उद्जन पूर्णतया भारतीय है। भाषा, रीति रिवाजों एवं आचरण की दृष्टि से उनमें और सीमा पार के भारतीय भाइयों में कोई अन्तर नहीं है। ६१ प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म को मानते हैं और लगभग ३७ प्रतिशत लोग कैथोलिक ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। वहां कुछ मुसलमान भी हैं। केवल कुछ प्रतिशत व्यक्ति ही पुर्तगाली भाषा लिख पढ़ सकते हैं, जबकि वहां की सामान्य भाषाएं मराठी, कोकनी और गुजराती हैं।

गोआ में धार्मिक या सांस्कृतिक प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह सर्वविदित है कि लाखों ईसाई ऐसे हैं जो भारत के राष्ट्रजन हैं, और उनमें अधिकतर लोग कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं। सरकार द्वारा यह बात भी बार बार कही गई है कि गोआ के लोगों के धर्म, रीतिरिवाजों और भाषा का आदर एवं संरक्षण किया जाएगा।

भारत सरकार ने लिज़बन में इस आशा से एक दूतावास स्थापित किया था कि गोआ के मामले में पुर्तगाली सरकार के साथ सीधीं बातचीत हो सके। परन्तु, पुर्तगाली सरकार इस प्रश्न की चर्चा करने से भी लगातार इनकार करती रही इसलिये, अब भारत

सरकार ने अनुभव किया है कि दूतावास को जारी रखने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिये सरकार ने जुलाई १९५३ में लिजबन से अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुला लिया और वहां अपना दूतावास बन्द कर दिया। फिर भी, भारत सरकार को आशा थी कि शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा बातचीत करने में कोई समझौता हो सकता है, और उसने दिल्ली स्थित पुर्तगाली दूतावास को बन्द करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया, जो यहां अपना काम करता रहा। पूर्व वाग्बद्धता के बिना दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक के बारे में गत वर्ष एक प्रस्ताव रखा गया था। यह भी पुर्तगाली सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया थाइस का विचार करते हुए तथा हाल की घटनाओं के कारण, भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि वर्तमान परिस्थतियों में, दिल्ली स्थित पुर्तगाली दूतावास के काम करने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। इसलिये भारत सरकार ने निर्णय किया है कि उनको इस दूतावास को बन्द करने के लिये कहा जाए। इस आशय का टिप्पण हमारे वैदेशिक कार्य सचिव ने स्वयं आज प्रातःकाल पुर्तगाली राजदूत को दे दिया है। ८ अगस्त १९५५ से दूतावास बन्द हो जाएगा।

जैसा कि सर्वविदित है, भारत सरकार ने गोआ की स्थिति के बारे में अत्यन्त संतोष और संयम से काम लिया है, हालांकि भारत और गोआ के लोगों में तीव्र तथा स्वाभाविक जोश भरा हुआ था। सरकार अपनी सामान्य नीति के अनसार, शान्तिपूर्व समझौते का प्रयत्न जारी रखेगी और पुर्तगाली सरकार के साथ बातचीत का स्वागत करेगी। गोआ भारत के प्राचीन इतिहास, भूगोलिक तथा सांस्कृतिक संबंधों और गोआ तथा भारत की जनता की अकांक्षाओं का ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें संदेह नहीं कर सकता कि गोआ भारत का एक अविछिन्न अंग है और वहां की जनता की इच्छाओं के अनुसार वहां की संस्कृति तथा अन्य हितों को सुरक्षित रखते हुए इसे अनिवार्यतः भारतीय संघ का भाग बनना चाहिये। भारत सरकार आशा करती है कि, जो कुछ हो चुका है उसके बावजूद, पुर्तगाली सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी और बातचीत द्वारा समझौते के प्रस्ताव का मैत्रीपूर्वक प्रत्युत्तर देगी।

भारत सरकार का पक्का विश्वास है कि केवल शान्ति पूर्ण उपायों को ही अपनाया जाना चाहिए और वह अन्य किसी भी कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करती जो हिंसात्मक हो या हिंसात्मक कार्यवाही को प्रोत्साहन दे।

मैं एक और बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं। इसका मेरे वकत्वय से सीधा सम्बन्ध नहीं है। आज प्रातः समाचारपत्रों निस्संदेह सदस्यों ने इस आशय का एक समाचार पढ़ा होगा कि गोआ को जाने वाली कुछ रेलगाड़िया बन्द कर दी गई हैं। यह बिल्कुल विभिन्न घटनाओं का परिणाम है। बात यह है कि भारतीय रेलवे एक ब्रिटिश रेलवे, जो पुर्तगाली सरकार की ओर से इस की व्यवस्था करती है, के साथ किये गये करार के अनुसार गोआ के अन्दर रेलें चलाती थी। अब इस रेलवे को चलाने के दो उपाय हैं। कुछ भारतीय गाड़ियां

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

शटल हैं जो सीमा तक जाती हैं, और कुछ शटल गाड़ियां सीमा के दूसरी ओर हैं जो दूसरी ओर चलती हैं। इस के अतिरिक्त, सीधी गाड़िया भी वहां जाती थीं। हमारे रेलवे कर्मचारियों ने पता लगाया है कि लगभग दो महीने पूर्व या इस से पहले, इन दो शटल सेवाओं के बीच उस छोटी जगह के अन्दर कुछ रुकावटें रख दी गई हैं जो विस्फोट के प्रकार की हैं। रेलवे के इंजीनियरों ने इस बात की सूचना दी है। यह सन्वोरदम रेलवे स्टेशनों के दोनो ओर हैं। इस बात की सूचना पुर्तगाली सरकार को दे दी गई थी।

एक और विचित्र घटना हुई। रेलवे के स्थायी पथ की देख भाल करने वाले कर्मचारियों को, जो साधारणतया पथ की देखभाल करते हैं, पुर्तगाली सैनिक अधिकारियों ने बीच के इस स्थान के इन रास्तों पर अपना काम न करने को कहा। इस मामले की सूचना भी पुर्तगाली अधिकारियों को दो गई और उनसे इस हस्तक्षेप को रोकने या यह आश्वासनस देने के लिये कि गोआ में रेलवे के इस विभाग के ऊपर से जाने वाले यात्रियों को कोई भय नहीं है, कहा गया। ब्रिटिश रेलवे को भी सूचना दे दी गई, जो इस की प्रभारी समझी जाती है। दिये गये समय के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यह सीधी जाने वाली रेलवे गाड़ी रोक दी गई है, क्योंकि यह उस छोटे क्षेत्र में से गुजरती है, जिसे विस्फोट युक्त समझा जाता था, किन्तु दोनों ओर की शटल गाड़ियां चालू हैं। अर्थात भारतीय रेलवे अब भी दूसरी ओर शटल चलाती हैं, और निस्सन्देह इस ओर भी। गोआ के उस भाग के ऊपर के जिसके अन्दर विस्फ़ोट बिछाए गए समझे जाते थे और जिस के ऊपर से यात्रियों आदि का जाना खतरनाक प्रतीत होता या सीधी गाड़ियों का रोकना अनिवार्य हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिये कोई समय निश्चित किया जा सकता है। हम समय निश्चित करके क्रम-पत्र में अधिसूचित कर देंगे।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित जी० बी० पन्त): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने और दंड विधि संशोधन अधिनियम १९५२ में आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने और दंड विधि संशोधन अधिनियम १९५२ में आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पण्डित जी० बी० पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिकृत लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।